sions) Act, 1985 (SICA) has special provisions with a view to securing the timely detection of sick and potentially sick companies owning industrial undertakings, speedy determination by BIFR of the preventive, ameliorative, remedial and other measures which need to be taken with respect of such companies and the expeditious enforcement of measures so determined and for matters connected with or incidental thereto. The SICA was first amended in December 1991 to bring the sick PSUs under the purview of BIFR. The amendments made to SICA in February 1994 can be broadly classified into the following three categories:

(i) Jurisdictional amendments, which redefine the category of the companies coming within the purview of the Act, and the options for revival or rehabilitation or for winding up which are available.

(ii) Amendments to enhance the effectiveness of BIFR.

(iii) Amendments which seek to remove ambiguities and to strengthen the internal coherence of the Act by redefining certain provisions, or which are clarificatory in nature.

पिछड़े जिलों की परिभाषा के लिये गठित की गई समिति

†2087. **श्री वीरेन जे०शाह:**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री शंकर एन० आचार्य की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसे "पिछड़े जिलों" की परिभाषा में सुधार करने हेतु आवश्यक सुझावों की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया था ;

(ख) क्या सरकार को समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्यमुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं तो इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रिपोर्ट की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(घ) से (च) उन नए औद्योगिक उपक्रमों के लिए जो आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पिछड़े राज्य से में दिनांक 1-4-1993 के बाद परन्तु दिनांक 31-3-1998 से पूर्व उत्पादन शुरू करते हैं, धारा 80-आई ए के अन्तर्गत पांच वर्षीय कर अवकाश को वित्त विधेयक, 1994 के द्वारा अन्य राज्यों के अत्यन्त पिछड़े हुए जिलों में स्थापित किए गए नए औद्योगिक उपक्रमों पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है । निर्धारित किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े हुए राज्यों को अधिसूचित किया जाएगा ।

†पूर्वत अतारांकित प्रश्न 1396, 3 मार्च, 1994 से स्थानान्तरित